

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 202/201/वित्त/नियम/चार/2007,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 07.07.2007

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- दिनांक 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 1.1.1996 को एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति के मामलों में पेंशन/परिवार पेंशन की गणना संबंधी आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक बी-25/7/98/पीडब्ल्यूसी/चार (भाग-I) दिनांक 14 जुलाई, 1998 द्वारा जारी किए गए हैं । दिनांक 11.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन समेकन [Consolidation] के संबंध में आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक बी-25/6/98/पीडब्ल्यूसी/चार (भाग-II) दिनांक 14 जुलाई, 1998 द्वारा जारी किए गए हैं ।

2/ ब्रम्हस्वरूप समिति ने पुराने पेंशनरों की पेंशन में हो रही कमी की पूर्ति के लिए, पेंशनरों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन तथा पेंशनर द्वारा सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय धारित पद के दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 30 प्रतिशत की दर से परिवार पेंशन पुनरीक्षित किए जाने की अनुशंसा की है ।

3/ ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओं पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.1.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन दिनांक 1.4.2007 (माह अप्रैल, 2007 की पेंशन माह मई, 2007 में देय) से नीचे लिखे निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित की जाय :-

- (i) इन निर्देशों में विद्यमान पेंशन का आशय, कम्प्यूटेड पेंशन का भाग यदि कोई हो, सहित दिनांक 31.3.2007 को देय मूल पेंशन से है । विद्यमान परिवार पेंशन का आशय दिनांक 31.3.2007 को देय मूल परिवार पेंशन से है ।
- (ii) दिनांक 31.3.2007 की स्थिति में पेंशनर को देय विद्यमान पेंशन यदि पेंशनर द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम है, तो विद्यमान पेंशन की राशि न्यूनतम पेंशन रूपये 1275/- प्रतिमाह के अधीन, दिनांक 1.1.1996 से प्रभावशील पद के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत के बराबर की जाए । पेंशनर के सेवानिवृत्ति के दिनांक को लागू पेंशन नियमों के अनुसार जहां पेंशनर द्वारा पूरी पेंशन के लिए आवश्यक सेवा से कम सेवा की गई है, ऐसे मामलों में पेंशन में उपयुक्त आनुपातिक कमी की जाए । पेंशन की राशि रूपये 1275/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी ।
- (iii) यदि किसी मामले में परिवार पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय शासकीय सेवक द्वारा धारित पद के दिनांक 1.1.1996 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 30 प्रतिशत से कम है तो, न्यूनतम परिवार पेंशन रूपये 1275/- प्रतिमाह के अधीन, परिवार पेंशन की राशि पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 30 प्रतिशत के बराबर की जाए ।
- (iv) उपर्युक्तानुसार पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण किया जाने से यदि किसी प्रकरण में पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन दिनांक 31.3.2007 की स्थिति में देय विद्यमान पेंशन/परिवार पेंशन की राशि से कम होती है तो पेंशनर पूर्वानुसार पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त करता रहेगा । ऐसे मामलों में इन निर्देशों के अंतर्गत पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- 4/ इन निर्देशों के अंतर्गत पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-
- (i) इन निर्देशों के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षित करने के लिए कोषालय अधिकारी पेंशनर के पेंशन भुगतान आदेश संबंधित पेंशन संवितरक बैंक से स्वयं ही प्राप्त करेंगे । पेंशन/परिवार पेंशन के निर्धारण के लिए पेंशनर के सेवानिवृत्ति के समय धारित पद, पद के वेतनमान, अर्हताकारी सेवा आदि की जानकारी आवश्यक होती है । पेंशन प्राधिकृत कर्ता अधिकारियों द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन गणना पत्रक संलग्न किए जाते हैं जिनमें यह जानकारी उपलब्ध रहती है । इस जानकारी के आधार पर कोषालय अधिकारियों द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षित की जाएगी ।
- (ii) पुनरीक्षित की गई पेंशन/परिवार पेंशन की प्रविष्टि भी पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक भाग में, इन निर्देशों का संदर्भ अंकित करते हुये, कोषालय अधिकारी अपनी सील/हस्ताक्षर करेंगे ।

- (iii) पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन गणना पत्रक उपलब्ध नहीं होने अथवा संबंधित पेंशनर की अर्हतादायी सेवा एवं उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय धारित पद एवं वेतनमान आदि की प्रमाणित जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में कोषालय अधिकारी द्वारा इसकी लिखित में सूचना संबंधित सेवानिवृत्त/मृत पेंशनर के कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी तथा ऐसे पत्र की प्रतिलिपि संबंधित पेंशनर/परिवार पेंशनर को दी जाएगी ।
- (iv) कोषालय अधिकारी से ऐसी सूचना मिलने पर कार्यालय प्रमुख (जहां से संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त/दिवंगत हुआ था) संबंधित कोषालय अधिकारी को पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक जानकारी प्रेषित करेगा। जानकारी प्राप्त होने पर कोषालय अधिकारी द्वारा कंडिका-4 (i) के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षित की जाएगी ।
- (v) जिन पेंशन भुगतान आदेशों में कार्यालय प्रमुख (जहां से संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त/दिवंगत हुआ था) की जानकारी उपलब्ध न हो ऐसे प्रकरणों में इसकी सूचना कोषालय अधिकारी द्वारा पेंशनर के विभागाध्यक्ष को दी जावेगी जो इन निर्देशों के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षित की जाने हेतु आवश्यक जानकारी संबंधित कोषालय अधिकारी को प्रेषित करेंगे । इस प्रकार के प्रकरणों की जानकारी कोषालय अधिकारी द्वारा संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को भी दी जाएगी जो इस प्रकार के प्रकरणों में पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ।
- (vi) जिन प्रकरणों में पेंशन भुगतान आदेश महालेखाकार द्वारा जारी किए गए हैं उनमें भी पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा की जाएगी ।
- (vii) संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन उक्त निर्देशों के अंतर्गत पुनरीक्षित की गई पेंशन की अपने स्तर से समय-समय पर जांच सुनिश्चित करेंगे ।


5/ सार्वजनिक उपक्रमों में संविलियनित शासकीय सेवकों की शासनाधीन की गई सेवा की पेंशन/परिवार पेंशन का भी पुनरीक्षण किया जाएगा, परन्तु ऐसे संविलियनित कर्मचारी, जिन्होंने पेंशन की शत-प्रतिशत राशि के सारांशीकरण का सेवान्त लाभ प्राप्त कर लिया है, के मामलों में पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5.6.2007 (**वित्त निर्देश क्रमांक-21/2007**) द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा ।

6/ इस परिपत्र के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के मामलों में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 90/116/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 19.4.2007 (**वित्त निर्देश क्रमांक-14/2007**) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे ।

7/ संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ को इन निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है जो कोषालय स्तर पर पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के कार्य की मानिट्रिंग करेंगे।

8/ कोषालय अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन को निर्देशित किया जाता है कि इन निर्देशों के अंतर्गत पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


**ifrfyfi%**

पृष्ठांक 203/201/ /वित्त/नियम/चार/07,रायपुर,

दिनांक 06.06.2007

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(अमिताभ शर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग